

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email - registrar impu@gmail.com Contact No 7017836228

पत्रांक-आर0एम0पी0यू0/160/2022

दिनांक - 02 मार्च, 2022

अति आवश्यक/अनुस्मारक-1

सेवा में

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबंधक,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

विषय:- महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता को विस्तारण/स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या आर0एम0पी0यू0/58/2022 दिनांक 16 फरवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (प्रति, संलग्न)
02 उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 611/सत्तर-1-2021-16 (74)/2018टी0सी0 दिनांक 28 अप्रैल, 2021 में अंकित किया गया कि "इस अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् उक्त दिनांक से राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की अधिकारिता के अधीन आच्छादित समस्त जिलों के महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय से स्वतः सम्बद्ध हो जायेंगे।" उक्त के अनुसार जनपद अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस में स्थित महाविद्यालय राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से सम्बद्ध हो गये हैं एवं सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 86/सत्तर-2-2022-16(07)/2022 दिनांक 07 फरवरी, 2022 द्वारा महाविद्यालयों को दी जाने वाली अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित कर दिया गया है।

03. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में कतिपय महाविद्यालयों द्वारा जमा की गयी पत्रावलियों का परीक्षण करने पर पाया गया कि उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2021-22 की सम्बद्धता नहीं है, उसके उपरांत भी महाविद्यालयों द्वारा संदर्भित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिये गये हैं। यह स्थिति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम एवं सुसंगत परिनियम/अध्यादेश के विरुद्ध है।

04. मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों की सम्बद्धता दिनांक 30 जून, 2022 को समाप्त हो रही है, वे अग्रिम सम्बद्धता/विस्तारण/स्थायी सम्बद्धता हेतु समस्त सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेखों सहित पत्रावली दिनांक 10 मार्च, 2022 सायं 5 बजे तक विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित-

1. कुलपति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com, Contact No. 7017836228

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0 / 58 / 2022

दिनांक:- 16 फरवरी, 2022

सेवा में

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबंधक,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

विषय:- महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता को स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उल्लेखनीय है उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 611/सत्तर-1-2021-16 (74)/2018टी0सी0 दिनांक 28 अप्रैल, 2021 में अंकित किया गया कि "इस अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् उक्त दिनांक से राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की अधिकारिता के अधीन आच्छादित समस्त जिलों के महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय से स्वतः सम्बद्ध हो जायेंगे।" उक्त के अनुसार जनपद अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस में स्थित महाविद्यालय राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से सम्बद्ध हो गये हैं एवं सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 86/सत्तर-2-2022-16(07)/2022 दिनांक 07 फरवरी, 2022 द्वारा महाविद्यालयों को दी जाने वाली अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित कर दिया गया है।

02. जिन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों को विभिन्न कमियों के कारण अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी एवं उनकी सम्बद्धता दिनांक 30 जून, 2022 को समाप्त हो रही है, वे पूर्व में निर्गत सम्बद्धता पत्र में अंकित कमियों की पूर्ति करते हुए स्थायी सम्बद्धता हेतु पत्रावली दिनांक 22 फरवरी, 2022 तक विश्वविद्यालय कार्यालय (अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन, प्रथम तल, निकट थाना सिविल लाईन, अलीगढ़) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित-

1. कुलपति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव